L-201 ........ 22
JD(K)
15 APR
Date

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर
— — 0 — —

क्रमांक 1221 /741 / 2019 / 38—1                    अटल नगर रायपुर, दिनांक 11 /04/ 2019

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय:— संतान पालन अवकाश स्वीकृति के संबंध में।

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्र. एफ 16—13 / 2019 / 1—8, दिनांक 13.03.19 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(सरोज उइके)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

## कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा,
### ब्लॉक सी.30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 5018/214 /968 /आउशि/अराज./स्था/2019                    नवा रायपुर दिनांक 17/10/19

प्रतिलिपिः —

प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़। कृपया सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक एफ 16—13/2019/1—8 दिनांक 13.03.2019 एवं वित्त निर्देश 39/2011 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दिये गये निर्देश के तहत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर

F:\V.S.July -2019\Latter_V.S. Cove_Nov -2016.doc 7

स्था/आ०/9/हरन
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
दिनांक 5/3/19 ..........2019

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला—रायपुर

क्रमांक एफ 16—13/2019/1—8 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 13.3.19

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, अटल नगर,
जिला—रायपुर।

विषयः— संतान पालन अवकाश स्वीकृति के संबंध में।

—00—

वित्त विभाग के वित्त निर्देश 52/2018, दिनांक 04.10.2018 के द्वारा अवकाश नियम में संशोधन करते हुए राज्य शासन के महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश लागू किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं :—

(1) यह अवकाश एक कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
(2) किसी एक अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जबकि न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी।
(3) स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार स्वीकृत की जाएगी। उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी
(4) संतान पालन अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा, किन्तु सामान्यतः 'कार्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए' स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् ही महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा।

2/ प्रायः देखा जा रहा है कि संतान पालन अवकाश संबंधी आवेदन पत्र 21 दिवस पूर्व पदस्थापना विभाग में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तथा विभाग प्रमुख पदस्थापना विभागों के द्वारा कार्यालय/विभाग की कार्यो का सुचारू संचालन सुनिश्चित किए बिना ही उक्त अवकाश स्वीकृति की अनुशंसा सहित इस विभाग को अग्रेषित किया जा रहा है, जो कि वित्त निर्देश 52/2018, दिनांक 04.10.2018 में निहित निर्देशो के विपरीत है।

क्रमशः..........2

3/ इसी प्रकार महिला शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अवकाश स्वीकृति के आवेदित अवकाश के दिन से ही प्रस्थान किया जा रहा है, जबकि वित्त निर्देश 52/2018 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् ही महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा।

4/ वित्त निर्देश 52/2018, दिनांक 04.10.2018 में निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने की जवाबदारी पदस्थापना विभाग की है। अतः कृपया कार्यालय/विभागों के कार्यो का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए उक्त अवकाश की अनुशंसा कर, अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस विभाग को अग्रेषित किया जाए। **किसी भी स्थिति में उक्त अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों के स्थान पर इस विभाग से एवजीदार कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं की जाएगी।**

5/ उपरोक्त निर्देशों का कृपया अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

R. Shandilya

(रीता शांडिल्य)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16–13/2019/1–8 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 13.3.19

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
3. विशेष सचिव/निज सचिव, मान.मंत्रीगण, मंत्रालय अटल नगर, रायपुर,
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डॉटा सेन्टर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ।

R. Shandilya

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

वित्त निर्देश 39/2011

# छत्तीसगढ़ शासन
## वित्त एवं योजना विभाग
## दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 279/808/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

**विषय:-अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन ।**
**संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक क्रमांक 552/99/वित्त/सी/चार/2011, रायपुर, दिनांक 30 मार्च, 1999 ।**

------

संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है । राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिक्रमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है, उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को निम्नानुसार प्रत्यायोजित किया जाता है -

| क. | विवरण | सक्षम प्राधिकारी | प्रत्यायोजन की सीमा | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **अर्जित अवकाश** | 1) प्रशासकीय विभाग | 180 दिन | |
| | | 2) विभागाध्यक्ष | | |
| | | प्रथम श्रेणी | 90 दिन | |
| | | द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) | 120 दिन | |
| | | 3) कार्यालय प्रमुख | | |
| | | प्रथम श्रेणी | 60 दिन | |
| | | द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) | 90 दिन | |
| | | तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं | 180 दिन | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | चतुर्थ श्रेणी | |
| 2. | अर्द्धवैतनिक अवकाश | 1) प्रशासकीय विभाग | पूर्ण अधिकार |
| | | 2) विभागाध्यक्ष | |
| | | प्रथम श्रेणी | 180 दिन |
| | | द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) | 240 दिन |
| | | 3) कार्यालय प्रमुख | |
| | | प्रथम श्रेणी | 60 दिन |
| | | द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) | 120 दिन |
| | | तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी | पूर्ण अधिकार |
| 3. | लघुकृत अवकाश | 1) प्रशासकीय विभाग | पूर्ण अधिकार |
| | | 2) विभागाध्यक्ष | |
| | | प्रथम श्रेणी | 90 दिन |
| | | द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) | 120 दिन |
| | | 3) कार्यालय प्रमुख | |
| | | प्रथम श्रेणी | 30 दिन |
| | | द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) | 60 दिन |
| | | तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर ) एवं चतुर्थ श्रेणी | पूर्ण अधिकार |
| 4. | अदेय अवकाश | 1) प्रशासकीय विभाग | पूर्ण अधिकार |
| | | 2) विभागाध्यक्ष | |
| | | प्रथम श्रेणी | 30 दिन |
| | | द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) | 60 दिन |
| | | 3) कार्यालय प्रमुख | |
| | | तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी | पूर्ण अधिकार |
| 5. | असाधारण अवकाश | 1) प्रशासकीय विभाग | पूर्ण अधिकार |
| | | 2) विभागाध्यक्ष | |
| | | प्रथम श्रेणी | 120 दिन |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) | 240 दिन | |
| | | 3) कार्यालय प्रमुख | | |
| | | तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी | पूर्ण अधिकार | |
| 6. | **प्रसूति, दत्तक ग्रहण एवं पितृत्व अवकाश** | 1) कार्यालय प्रमुख | पूर्ण अधिकार | |

**टीप** :- 1. प्रत्यायोजन की सीमा एक बार में स्वीकृत किए जाने वाले अवकाश हेतु है, खण्ड-खण्ड में स्वीकृत अवकाश हेतु नही ।

2. प्रत्यायोजित अधिकार छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम-11 की सीमा के अधीन होगी, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के अवकाशों को शामिल करते हुए एक समय में स्वीकृत योग्य अवकाश की अधिकतम सीमा 5 वर्ष है।

3. विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के स्वयं के प्रकरण संबंधित पद के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निराकृत किए जाएंगे।

4. यह आदेश न्यायालयों की व्यवस्था पर लागू नहीं होंगे ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 280/808/वित्त/नियम/चार/11 रायपुर, दिनांक 30.08.2011

**प्रतिलिपिः–**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ravindran

**विशेष कर्त्तव्यथ अधिकारी**
**छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग**